खण्ड 12 संख्या 10

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग-1—कार्यवही प्रश्नोत्तर)

बुधवार तिथि 28 मार्च, 1984 ।

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या 6 (पूर्ण उत्तर के लिए स्थगित) ... 1—6

तारांकित प्रश्न संख्या 323, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104 एवं 1105 । 7—20

परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) : ... 21—42

दैनिक निबन्ध : ... 43

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों के अपना भाषण संशोधित नहीं किया है ।

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई।

1104. श्री दशई चौधरी—क्या मंत्री, खनन् एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत, प्रखण्ड बरौली, ग्राम देवापुर में श्री खोआमल सिन्धी के ईंट चिमनी भट्ठा में सत्र 1982-83 में 8 (आठ) लाख ईंट का निर्माण किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त जिला के खान निरीक्षक श्री मोतीलाल सिंह ने उक्त चिमनी भट्ठा को 1982-83 सत्र में बन्द दिखलाया है जिससे सरकार को राजस्व की क्षति हुई है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (2) के वर्णित तथ्य की जांच कर दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हां, तो कब तक ?

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही—प्रथम खंड का उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है इस माने में कि भटठा एक साल चला और दूसरे साल नहीं चला, यही सरकार के सामने रिपोर्ट है।

श्री दशई चौधरी—मैं सरकार के जवाब को चुनौती देता हूं, वहां 1982-83 में भी ईंट का निर्माण हुआ था।

अध्यक्ष—आप बेगूसराय और गोपालगंज भट्ठे का सवाल कर रहे हैं, कहां-कहां चले गये आप ?

श्री दशई चौधरी—मेरी निजी जानकारी है, इसलिये सरकार के जवाब को चुनौती देता हूं। क्या सरकार अपर निदेशक, खान से इसकी जांच करवायेगी ? निदेशक, खान उनसे मिले हुए हैं, इसलिये उनसे जांच न करवायें ?

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही—बहुत जगह ऐसा होता है कि भट्ठे का लाइसेन्स ले लेने के बाद भी एक साल चलता है और दूसरे साल नहीं चलता है। खासकर सिवान और गोपालगंज में ऐसा देखा गया है कि बहुत से भट्ठा वाले लाइसेन्स तो ले लेते हैं पर कभी चलाते हैं, कभी नहीं चलाते हैं। वस्तुस्थिति यही है। जैसाकि सरकार के पास रिपोर्ट है। माननीय सदस्य को कहां-कहां की खबर है, यह सरकार को मालूम नहीं है।

श्री दशई चौधरी—मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वहां ईंट का निर्माण हुआ है, इसलिये मैं इनके जवाब को चुनौती देता हूं और जानना चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच अपर निदेशक, खान से कराना चाहती है कि नहीं ?

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही—अगर माननीय सदस्य कोई तथ्यपूर्ण खबर देंगे तो हम जांच करा देंगे ।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई ।

1105. श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा—क्या मंत्री, ईख विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण के मैनाटांड अन्तर्गत नरकटियागंज चीनी मिल द्वारा पडरिया ईख क्रय केन्द्र को विधि व्यवस्था में गड़बड़ी के झूठे दावे दिखाकर चालू नहीं किया गया है ;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कब तक उक्त क्रय केन्द्र को चालू करने तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रेम नारायण गढ़वाल—(1) उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पडरिया पथ केन्द के परिचालन हेतु मिल्स प्रबंधक ने जिला प्रशासन से पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया था । विभागीय पत्रांक 764, दिनांक 28 फरवरी, 1984 द्वारा समाहर्ता, पश्चिमी चंपारण, बेतिया से यह अनुरोध किया गया है कि किसानों के व्यापक हित को दृष्टिगत करते हुए पडरिया पथ केन्द्र के परिचालन में मिल को हर संभव प्रशासनिक सहायता प्रदान की जाय ।

(2) मिल का क्रशिंग कार्य वर्तमान पेराई वर्ष के लिये बन्द हो चुका है । अतः इस वर्ष अब केन्द्र चलाने का प्रश्न नहीं उठता । विभागीय निदेश के अनुसार पथ केन्द संचालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप मिल के विरुद्ध अभियोजन चलाने की कार्रवाई की गई है ।

श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा—मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इस केन्द्र को चलाने के लिये पुलिस बल की आवश्यकता क्यों महसूस की गई है ?